Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में रेलवे मंडल का वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (भारतीय रेल यातायात सेवा–आई.आर.टी.एस.) अपने दलाल सहित 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *31 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एस.यू. भरतपुर इकाई द्वारा आज गुरूवार को कोटा में कार्यवाही करते हुये अजय कुमार पाल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.) कोटा मंडल को उसके दलाल महेश कुमार केटरिंग वैण्डर, रेलवे स्टेशन हिण्डौन सिटी को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.यू. भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध जारी चार्जशीट को फाइल करवाने की एवज में अजय कुमार पाल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.) कोटा मंडल द्वारा उसके दलाल महेश कुमार केटरिंग वैण्डर, रेलवे स्टेशन हिण्डौन सिटी के माध्यम से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.यू. भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश कुमार मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये अजय कुमार पाल पुत्र श्री अक्षयवर नाथ पाल निवासी ग्राम नयनपुर, पुलिस थाना भदोही कोतवाली, जिला संत रविदास नगर, उत्तरप्रदेश हाल निवासी आरई–वी/3, रेलवे ऑफिसर कॉलोनी, कोटा हाल वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (आई.आर.टी.एस.) कोटा मंडल एवं उसके दलाल महेश कुमार पुत्र श्री रामखिलाड़ी निवासी वर्धमान नगर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली हाल केटरिंग वैण्डर, रेलवे स्टेशन हिण्डौन सिटी को परिवादी से 20 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।